न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/44

1. किशन आयु 55 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बनवारी आयु 45 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजू आयु 50 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राधेश्याम आयु 68 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर आयु 65 वर्ष आत्मज श्री भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोजी आयु 68 वर्ष आत्मज श्री भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2022/88

1. शंकर आयु 65 वर्ष आत्मज श्री भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोजी आयु 68 वर्ष आत्मज श्री भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. किशन आयु 55 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

2. बनवारी आयु 45 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजू आयु 50 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राधेश्याम आयु 68 वर्ष आत्मज श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सत्यनारायण नागर, अभिभाषक, अपील संख्या 2022/44 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 2022/88 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की ओर से ।
2. श्री अतुल वशिष्ट अभिभाषक, अपील संख्या 2022/44 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से एवं अपील संख्या 2022/88 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 2022/44 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 30.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं एवं अपील संख्या 202/88 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 15.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 87 में खसरा नम्बर 63 रकबा 1.44 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पास पारिवारिक बंटवारे से आई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के लिए ग्राम मानपुरा से रामपुरिया जाने वाली डामर सडक से अपने पूर्वजों के समय से ही 15 फिट चौडा बना हुआ है जो खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे –सहारे स्थित है । इस रास्ते का

परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो कि प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आने–जाने में अवरोध उत्पन्न करते हैं । कुछ पहले अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते का बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने–जाने के रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि पडत रहने की स्थिति पैदा हो गई है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बर 64 में स्थित रास्ता जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित विवादित रास्ते को प्रार्थीगण के खेतों में पहुंचने का रास्ता घोषित किया जावे नक्शा ट्रेस में रास्ते को दर्ज किया जावे । अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वे चरण संख्या 02 व नक्शा परिशिष्ट "अ" में लगाई गई तारों की जाली व मैन रोड के पास रास्ते में लगाये गये गेट को अपने खर्चे से हटवाया जाकर रास्ता बहाल करवाया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट गम्भीरा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.11.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड से रकबा में से 43 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 86 वर्गगठ्ठा = 3746.16 वर्गफीट यानि लगभग 0.0324 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 15.03.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष रास्ता चाहने बाबत् अन्तर्गत धारा 251 (क) में पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 30.112021 को हो चुका है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दक्षिणी दिशा की मेड पर रास्ता चाहा था । परीक्षण न्यायालय के द्वारा निर्णयानुसार भी दक्षिणी दिशा की मेड पर ही रास्ता दिया गया है । नक्शा ट्रेस में पटवारी हल्का ने उत्तरी ओर रास्ता दर्शाया है, जबकि उत्तरी मेड पर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है । उत्तरी मेड पर सिवायचक व चारागाह भूमि है एवं नाला निकला हुआ है । हल्का पटवारी द्वारा जो नक्शा बनाया गया है व नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है वह गलत है । जबकि पटवारी हल्का के दक्षिणी दिशा का मौका देखा था व नाप भी दक्षिणी दिशा का किया गया था । दक्षिणी मेड पर ही अपने खेत में प्रार्थीगण का कुआ स्थित है । कुए पर आने–जाने हेतु ही रास्ता चाहा गया है । अतः प्रार्थीगण को दक्षिणी दिशा में रास्ता दिलवाने की कृपा करें ।

7. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प गम्भीरा में रखते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 15.03.2022 के द्वारा खसरा नम्बर 64 की उत्तरी मेड से रकबा में से 43 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 86 वर्गगठ्ठा = 3746.16 वर्गफीट यानि लगभग 0.0324 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 एवं 15.03.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं अप्रार्थीगण अपीलान्ट दोनों ने अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर अपील

अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 एवं 15.03.2021 निरस्त करने का कथन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपील संख्या 2022/44 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 1.44 हैक्टर में आने–जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता ग्राम मानपुरा से रामपुरिया जाने वाली डामर सडक से बना हुआ है जो खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे स्थित है । इस रास्ते का नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाया है । उक्त रास्ता बन्द कर दिया है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार नैनवा से रिपोर्ट प्राप्त की जिस पर मिली–भगत व सांठ–गांठ कर लेने की वजह से तहसीलदार नैनवा ने खसरा नम्बर 64 के दक्षिण से रास्ता जाना प्रस्तावित किया है । परीक्षण न्यायालय ने आनन–फानन में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पुराने रास्ते खसरा नम्बर 48 में से निकले हुए रास्ते से अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 63 पर आते–जाते रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की कृषि भूम की मेर से नया रास्ता प्रस्तावित करवा लिया है जिसकी वजह से अपीलान्ट की सारी भूमि रास्ता दिये जाने के बाद अनुपयोगी हो जावेगी । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. अपील संख्या 2022/88 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 1.44 हैक्टर में आने–जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता ग्राम मानपुरा से रामपुरिया जाने वाली डामर सडक से बना हुआ है जो खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे स्थित है । इस रास्ते का नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाया है । उक्त रास्ता बन्द कर दिया है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30.11.2021 को रास्ता खुलासा करते हुए खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के रकबा में से 0.0324 हैक्टर भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया है । उक्त रास्ता कायम करने के लिए परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार नैनवा से रिपोर्ट की थी । परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में परिशिष्ट "अ" के स्थान पर परिशिष्ट "क" का उल्लेख कर दिया । पटवारी हल्का मानपुरा द्वारा दिनांक 08.03.2022 की रिपोर्ट अनुसार नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" के आधार पर खसरा नम्बर 64 की उत्तरी मेड के सहारे का रास्ता दर्शा दिया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" को प्रस्तुत किया था जिसमें रास्ता खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे दर्शाया गया था ।

पटवारी हल्का मानपुरा की रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 अनुसार परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.11.2021 में संशोधित आदेश दिनांक 15.03.2022 को आदेश पारित कर दक्षिणी मेड के स्थान पर उत्तरी मेड को संशोधित कर दिया जबकि आदेश दिनांक 30.11.2021 में दक्षिणी मेड सही रूप से अंकित थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 निरस्त फरमाया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 30.11.2021 को बहाल रखा जावे ।

12. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील अपीलान्ट खारिज करने का कथन किया ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया । प्रार्थीगण शंकर एवं शोजी ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 1.44 हैक्टर में आने–जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता ग्राम मानपुरा से रामपुरिया जाने वाली डामर सडक से बना हुआ है जो खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे स्थित है । इस रास्ते का नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाया है । उक्त रास्ता बन्द कर दिया है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

14. मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका रिपोर्ट में दक्षिणी मेर की ओर से रास्ता देने में सहमति नहीं दी । मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाने वाली Summary Enqury का सबसे महत्वूपर्ण बिन्दु है । अप्रार्थी को सुना नहीं, तहसीलदार व मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिया नही गया तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा किस प्रकार से Summary Enqury की गई ? मौका रिपोर्ट में भी किसी पक्षकार को सूचना देने का कोई उल्लेख नहीं है, केवल एक पक्षकार अप्रार्थी बनवारी को छोडकर किसी पक्षकार के कोई हस्ताक्षर भी नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.03.2022 को पटवारी व तहसीलदार द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया, जबकि पत्रावली में संलग्न दिनांक 15.03.2022 को उपखण्ड अधिकारी नैनवा को स्वयं प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दक्षिणी मेर से ही रास्ता चाहा, तथा पटवारी रिपोर्ट को गलत बताया । इस विरोधाभासी स्थिति के संज्ञान में आने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को पुनः बिना अपीलान्ट को सुने उत्तरी मेर से रास्ते के आदेश दिये गये । पुनः किस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने Summary Enqury की, यह कहीं स्पष्ट नहीं है । इस प्रकार के आदेश न्यायिक प्रकिया तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से साबित है कि परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस/सम्मन तामील नहीं करवाये हैं जिससे स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

15. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2021 को रास्ता खुलासा करते हुए खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के रकबा में से 0.0324 हैक्टर भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया है । उक्त रास्ता कायम करने के लिए परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार

नैनवा से रिपोर्ट की थी । पटवारी हल्का मानपुरा द्वारा दिनांक 08.03.2022 की रिपोर्ट अनुसार नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" के आधार पर खसरा नम्बर 64 की उत्तरी मेड के सहारे का रास्ता दर्शा दिया गया जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" को प्रस्तुत किया था जिसमें रास्ता खसरा नम्बर 64 की दक्षिणी मेड के सहारे दर्शाया गया था । पटवारी हल्का मानपुरा की रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 अनुसार परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.11.2021 में संशोधित आदेश दिनांक 15.03.2022 को आदेश पारित कर दक्षिणी मेड के स्थान पर उत्तरी मेड को संशोधित करने का आदेश पारित किया है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोनों अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ने अपीलें पेश की हैं और दोनों अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का निरस्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कथन किया है । उपर्युक्त स्थिति में हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2021 एवं 15.03.2022 को निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2022/44 एवं अपील संख्या 2022/88 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 एवं 15.03.2022 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार नैनवा से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा